



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: c) -पारे०अनु०-०४/पाट्राकालि-२०२१

दिनांक: ०१ जनवरी, २०२१

कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक ३१.१२.२०२० को संकल्पित किये गये प्रस्ताव के फलस्वरूप, पारेषण स्कन्ध में कार्यरत अधिकारियों/कार्मिकों को समय-समय पर पारेषण लाइनों एवं उपकेन्द्रों तथा अन्य सम-सामयिक विषयों की जानकारी, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम एवं तकनीकी उन्नयन प्रशिक्षण/व्याख्यान प्रदान करने हेतु, उ०प्र०पा०का०लि० के कार्यालय ज्ञाप संख्या-५७३/वि०प्र०सं०(ल०)/पाकालि, दिनांक ०३.०७.२०१८ में उल्लिखित मानदेय/व्यवस्थाओं को उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० में निम्नवत अंगीकृत किया जाता है :-

श्रेणी	अधिकारी स्तर	मानदेय (रु० प्रति पीरियड)
विशिष्ट श्रेणी	प्रमुख सचिव, सचिव, राजकीय विभागों के विभागाध्यक्ष, राजकीय विश्वविद्यालय के उपकुलपति, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज के निदेशक, पावर कारपोरेशन/वितरण निगम/जल विद्युत निगम/उत्पादन निगम/पारेषण निगम के प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशक स्तर के अधिकारी, आईआईएम०, लखनऊ के निदेशक/विभागाध्यक्ष	३,०००.००
प्रथम श्रेणी	विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, प्रबन्धकीय संस्थान के प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष, सेवारत/सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-१/११), मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक, अधीक्षण अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक, पा०का०लि० एवं अन्य राजकीय विभागों के समकक्ष अधिकारी	१,५००.००
सामान्य श्रेणी	सेवारत/सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता स्तर तथा इससे कनिष्ठ श्रेणी के सभी अधिकारी/कार्मिक उ०प्र०पा०का०लि० एवं अन्य विभागों के समकक्ष अधिकारी	१,२००.००

- एक पीरियड की अवधि ४५ मिनट होगी।
- उपरोक्त श्रेणी में विशेषज्ञों का स्तर एवं व्याख्यान अवधि निर्धारित करने का अधिकार निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान को होगा।
- व्याख्यानकर्ताओं को स्वयं की व्यवस्था से अधिकतम ६० कि०मी० तक की स्थानीय यात्रा हेतु रु. १०/- प्रति कि०मी० की दर से यात्रा व्यय अनुमन्य होगा।
- बाह्य आमंत्रित विशेषज्ञों को उनके समकक्ष, विभाग में कार्यरत अधिकारियों को अनुमन्य यात्रा भत्ते के बराबर यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता, होटल चार्ज, टैक्सी चार्ज आदि अनुमन्य होगा।
- क्षेत्रों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभागीय वक्ताओं को मानदेय के अतिरिक्त अनुमन्य यात्रा भत्ता देय होगा।
- विशेष परिस्थितियों में वास्तविक यात्रा व्यय के अनुमोदन का अधिकार निदेशक (का०प्रब० एवं प्रशा०) को होगा।

निदेशक मण्डल

संख्या: (i)-पारे०अनु०-०४/पाट्राकालि-२०२१ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
२. समस्त निदेशकगण, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
३. अधिशासी निदेशक (वित्त एवं सम्प्रेक्षा), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
४. महानिदेशक (प्रशि० एवं मा०सं०वि०), उ०प्र०पा०का०लि०, सरोजनी नगर, लखनऊ।
५. अपर सचिव-द्वितीय, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
६. कम्पनी सेक्रेटरी, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- ✓ ७. अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध निदेशक (आपरेशन) को वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

आज्ञा से,


(अनिल पाठक)

उप सचिव (पारेषण-तृतीय)